



पुनरीक्षण याचिका क्रमांक.....।२०१३  
प्रस्तुति दिनांक

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के न्यायालय में

- १- विश्वेन्द्र पिता श्री रमेशचन्द्र डूंगरवाल,  
आयु ३५ वर्ष व्यवसाय व्यापार  
निवासी आनन्दगंज मण्डी तहसील कुक्षी  
जिला धार (म०प्र०)
- २- यतिन्द्र पिता श्री रमेशचन्द्र डूंगरवाल,  
आयु ३४ वर्ष, व्यवसाय व्यापार,  
निवासी आनन्दगंज मण्डी तहसील कुक्षी,  
जिला धार (म०प्र०)

०७/११/१४ के अंगकाल  
अर्धी प्रमाणपत्र द्वारा दिनांक ०७/०१/१४  
को प्रस्तुत  
०७/११/१४

११  
वर्ष

---प्रार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

--- प्रतिप्रार्थी

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भूराजस्व संहिता १९५९

प्रार्थी माननीय आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर (श्री संजय  
दुबे)द्वारा प्रकरण क्रमांक १६।अपील।स्टाम्प ।२०१२-१३ (विश्वेन्द्र एवम अन्व  
वि० शासन )मे पारित आदेश दिनांक ८-१०-२०१३ से असन्तुष्ट होकर यह  
पुनरीक्षण नीचे लिखे तथ्यों तथा आधारों पर सादर निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं  
कि :-

368- 08/12/14

युक्त महोदय को पालन

07/11/14

1  
2  
3  
4  
5

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश -ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमक निगरानी 368-पीबीआर/2014

विश्व-3/अभिन

काल धार

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकर्म एवं अभिभाषक विधि के अस्तित्व

19-6-2014

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 8-10-2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47-1 के अंतर्गत आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकाला जाकर कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को है, उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त की गई । आवेदकगण द्वारा आयुक्त के आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, और निगरानी मेंनों के साथ कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए थी, परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही आवेदकगण की ओर से नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)  
अध्यक्ष